न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/290/2018

उनवान

1. श्रीमती कैलाश देवी पत्नी स्व0 आनन्दी लाल कलाल, निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. संतोष पिता आनन्दी लाल कलाल, निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
3. केदार पिता आनन्दी लाल कलाल, निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
4. आरती पुत्री आनन्दी लाल पत्नि अनिल कुमार जायसवाल, निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा हाल निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ
5. विजय कुमार पिता चुन्नी लाल कलाल निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पिता चुन्नी लाल कलाल निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. नरेश कुमार पिता चुन्नी लाल कलाल निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. गणेश पिता चुन्नी लाल कलाल निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. सीता पुत्री चुन्नी लाल कलाल निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. माया पुत्री चुन्नी लाल कलाल निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल (लोक अदालत कैम्प कोर्ट, संतोकपुरा तहसील माण्डल) के प्रकरण संख्या 181/2015 निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 6.6.2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री अब्दुल रसीद पठान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं

निर्णय

दिनांक 24.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की आराजियात मौजा गुढा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 08 में आराजी नम्बर 470 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 471 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 473 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण बनवारी लाल का 4/21 हिसस, वादी नरेश कुमार का 4/21 हिस्सा, गणेश का 4/21 हिस्सा, वादिया सीता का 1/42 वॉ हिस्सा, वादिया माया का 1/42 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 आनन्दी लाल का 4/21 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 4/21 हिस्सा निहित है तथा इसी मुताबिक मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शामलाती रूप से अपने—अपने हक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

2. उपरोक्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य अपने अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ करने में, घास आदि लेने तथा लगान आदि जमा कराने में विवाद बना रहता है जिस पर वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 से सम्पर्क कर अपने अपने हक हिस्से की आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा अलग से अपने अपने नाम पर खाता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीसंख्या 1 लगायत 2 हर बार टालमटोल करते आ रहे है। जिस पर वादीगण ने अंतिम बार दिनांक 20.9.2015 को सहमति से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने को कहा परन्तु वे इंकार हो गये। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 इस आशय की विभाजन की डिक्री पारित की जावे कि मौजा गुढा की आराजी नम्बर 470 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 471 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 473 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा हक हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व अभिलेख में खाता अलग–अलग अंकन किया जाकर लगान अलग से तय कराया जावे व कब्जा डिक्री से बंटवाडे में प्राप्त आराजियात का दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 26.4.2018 को नियत थी। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.7.2018 नियत की गई थी। दिनांक 20.7.2018 की तारीख पेशी को काटकर दिनांक 26.4.2018 अंकित किया गया । परन्तु दिनांक 26.4.2018 को पत्रावली में किसी प्रकार की आदेशिका नहीं लिखी गई एवं बिना अपीलार्थीगण को सूचना दिये पत्रावली को दिनांक 6.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम संतोकपुरा में रखी गई। दिनांक 6.6.2018 को अपीलार्थीगण के बारे मे लिखा गया कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित । जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखे जाने हेतु अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश करना था। लेकिन अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सूचना दिये बगैर तथा सुने बिना ही दिनांक 6.6.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार कैम्प ग्राम संतोकपुरा में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी। जबकि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण करना था जो नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. यह कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार कब्जा चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने के लिए प्रारंभिक डिक्री जारी कर तहसीलदार माण्डल को प्रस्ताव जारी करने का आदेश दिया गया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 20.7.2018 को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तो जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थीगण को सुने ही दिनांक 6.6.2018 को निर्णय कर प्रारंभिक डिक्री जारी कर दी है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना कोई साक्ष्य लिये आनन–फानन में प्रकरण का जल्द निस्तारण करने के उद्धेश्य से बिना दस्तावेज देखे एवं बिना अपीलार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को सुनने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य राजीनामा/सहमति हो गई हो। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की सहमति अथवा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके बावजूद लोक अदालत मे वाद का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी संख्या 1 से 3 के हक हिस्से में वादग्रस्त आराजियात का 4/21 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 व 5 का 1/42 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 4/21 वॉ हिस्सा अनुसार निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री जारी की है। जबकि अपीलार्थीगण का हिस्सा पूर्व में आपसी सहमति से बंटवाडे से प्राप्त होकर उस पर अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट/वादीगण का कब्जा ही नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की आराजियात मौजा गुढा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 08 में आराजी नम्बर 470 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 471 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 473 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण बनवारी लाल का 4/21 हिसस, वादी नरेश कुमार का 4/21 हिस्सा, गणेश का 4/21 हिस्सा, वादिया सीता का 1/42 वॉ हिस्सा, वादिया माया का 1/42 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 आनन्दी लाल का 4/21 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 4/21 हिस्सा निहित है तथा इसी मुताबिक मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शामलाती रूप से अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5/वादीगण ने वादग्रस्त आराजी मौजा गुढा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 08 में आराजी नम्बर 470 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 471 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 473 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण बनवारी लाल का 4/21 हिस्सा, वादी नरेश कुमार का 4/21 हिस्सा, गणेश का 4/21 हिस्सा, वादिया सीता का 1/42 वॉ हिस्सा, वादिया माया का 1/42 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 आनन्दी लाल का 4/21 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 4/21 हिस्सा बताते हुए विभाजन किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 17.11.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

14. पत्रावली से स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 का संशोधित उनवान पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं एक प्रति अधिवक्ता प्रत्यर्थी को दिलाई गई एवं प्रकरण वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 में नियत रही । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जवाब को रेकार्ड पर लेने के उपरान्त दावा एव जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम करनी चाहिए थी। उसके उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिये था।

15. अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम अनुसारं दिनांक 28.11.2017 को प्रकरण जवाब दावे में लंबित होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.12.2017 नियत की थी । दिनांक 21.12.2017 को अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन/बहिष्कार किये जाने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.3.2018 नियत की गई। दिनांक 22. 3.2018 को पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.7.2018 नियत की गई । उसके उपरान्त दिनांक 20.7.2018 में कांट–छांट कर तारीख पेशी दिनांक 26.4.2018 अंकित की गई। दिनांक 26.4.2018 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई आदेशिका ही अंकित नहीं की गई एवं न ही कोई आगामी तारीख पेशी नियत की गई। उसके उपरान्त सीधे ही पत्रावली को दिनांक 6.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम संतोकपुरा में रखी गई।

16. प्रकरण को दिनांक 6.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम संतोकपुरा में रखे जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को लोक अदालत में प्रकरण नियत किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेशिका दिनांक 6.6.2018 में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अंकन किया गया है कि ''वादीगण उपस्थित प्रतिवादीगण सूचना बावजूद अनुपस्थित।'' प्रतिवादीगण को प्रकरण को लोक अदालत में नियत किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना दिया जाना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है ।

17. अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण सूचना के अभाव में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम संतोकपुरा में उपस्थित नहीं हुए उसके बावजूद प्रकरण का लोक अदालत की भावना से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम संतोकपुरा में निस्तारण कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

18. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 6.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.6.19 को उपस्थित रहें।

19. आदेश आज दिनांक 24.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा